

# International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845  
ISSN Online: 2664-9853  
Impact Factor: RJIF 8.42  
IJSSER 2025; 7(2): 891-894  
[www.socialsciencejournals.net](http://www.socialsciencejournals.net)  
Received: 07-09-2025  
Accepted: 10-10-2025

**Pushpraj Gunjan**  
Assistant Professor, Teachers  
Training College, Bhagalpur,  
Affiliated to Tilka Manjhi  
Bhagalpur University,  
Bhagalpur, Bihar, India

## बिहार राज्य में व्याप्र दहेज हिंसा का अध्ययन

**Pushpraj Gunjan**

**DOI:** <https://www.doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i2k.454>

### सारांश

दहेज हिंसा एक वैश्विक समस्या है, यह हिंसा महिला केन्द्रित होती है। इसमें महिला पीड़ित एवं दुल्हा को उत्पीड़न देने वाला समझा जाता है। 1000 में से, 49.5% महिलाओं ने आपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपने पति / अंतरंग साथी के हाथों हिंसा का अनुभव किया। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दहेज हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्थिति तथा प्रभाव का अध्ययन करना है। आजादी के बाद पहली बार दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाकर कर लागू किया गया। लेकिन इस अधिनियम के बावजूद भी दहेज हिंसा चरम पर है। दहेज हिंसा से महिला की महिमा शर्मसार होती है इतना ही नहीं उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। भारतीय संस्कृति में छिपी हुई लैंगिक असमानता को दहेज हिंसा प्रदर्शित करती है। भारत में व्यापक रूप से फैली हुई इस समस्या को समाप्त करने के लिए विभिन्न कानूनों में बदलाव तथा अनेक प्रकार के जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। दहेज हिंसा को रोकने में भारतीय दंड संहिता 498 A, भारतीय दंड संहिता 304B, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आदि सरकारी कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

**कुटशब्द:** दहेज हिंसा, दहेज निषेध आधिवित्रम 1961, लैंगिक असमानता, भारतीय दंड संहिता 498 A, भारतीय दंड संहिता 304B, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

### प्रस्तावना

दहेज हिंसा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का बड़ा हिस्सा के रूप में है वास्तव में कलंक, डर तथा न्याय तक सीमित पहुँच के कारण रिपोर्टिंग वहुत कम है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5 2019-21) अनुसार, (15-49) वर्ष की आयु की महिलाओं में से 32% के द्वारा हिंसा का अनुभव किया गया है जिनमें से शारीरिक हिंसा 25.9 % तथा यौन हिंसा 6.1% है। भारतवर्ष के अंदर अनेक सामाजिक समस्याएँ हैं जिनमें से एक समस्या दहेज हिंसा है इसमें शादी के समय दुल्हा पक्ष के द्वारा दुल्हन पक्ष से अनावश्यक गाड़ियों, पैसों, जेवरों की माँग की जाती है और माँगों के पूरा नहीं होने पर दुल्हन को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है यहाँ तक कि उन्हें आग से जलाकर हत्या भी कर दी जाती है। संपूर्ण विश्व में दहेज प्रथा की प्रणाली भिन्न-भिन्न रूपों में कायम है साथ ही साथ दक्षिण एशिया के भारत में सबसे अधिक है। वर्तमान समय भिन्न-भिन्न साहित्यों में दहेज हिंसा को एक उपेक्षित मानव संकट माना जाता है जिसमें दुल्हा को अपनी जीवन साथी दुल्हन के साथ हिंसा, मातृअवसाद और आत्महत्या जैसे व्यापक मुद्दों से जोड़ता है। विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं का कहना है कि इतनी कठोर कानून होने के बाबजूद दहेज हिंसा से होने वाली मौतों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो रही है। सन् 1987 ई० में दहेज हिंसा से होने वाली मौतों की संख्या 400 थी वहीं 2010 के दशक तक 8000 से अधिक हो गयी है। दहेज हिंसा अक्सर आर्थिक माँगों की पूर्ति नहीं होने पर होती है। इसमें अक्सर दुल्हन को (मिट्टी के तेल से जलाना 60-70% मामलों में) डूबने, जहर पिलाने, फाँसी देने तक बढ़ जाती है।

प्राचीनकाल में पिता की संपति में बेटी को हिंसा नहीं दिया जाता था जिस कारण शादी के समय दुल्हन के पिता के द्वारा दुल्हन को संपति दी जाती थी तथा उसके बदले दुल्हन की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी दूल्हे के पक्ष के द्वारा दी जाती थी। प्रारम्भ में दहेज प्रथा उत्तरी भारत के उच्च जाति में देखी गयी बाद में धरि-धरि सब जगह फैल गयी। सन् 1793 के स्थामी बंदोबस्त अधिनियम के बाद भूमि को स्वामित्व निजी कर दिया गया साथ ही साथ महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व के रूप में रोक लगा दिया गया। इस कानूनी बदलाव के द्वारा दुल्हन को दी गयी संपत्ति उसके पति के उपभोग की जाने लगी। 20 वीं सदी में दहेज संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया और सार्वभौमिक हो गया। दहेज की स्वैच्छिक प्रवृत्ति एक सामाजिक मजबूरी में बदल गयी और दुल्हन की शादी को सुरक्षित करने हेतु पर्याप्त भुगतान करने में बाध्यता महसूस करते हैं। इस्लामी विवाहों में मेहर दहेज की अवधारणा है जो कि हिन्दू दहेज से बिल्कुल अलग है मेहर दूल्हे द्वारा हुल्हन को दिया जानेवाला अनिवार्य उपहार है। संपूर्ण भारत में दहेज हिंसा से होने वाले मौतों की संख्या में बिहार का दूसरा स्थान है तथा बिहार के विभिन्न जिलों में दहेज हिंसा में होने वाले मौतों की संख्या पटना में सबसे अधिक है तथा शिवाहर जिला में सबसे कम है।

**Corresponding Author:**  
**Pushpraj Gunjan**  
Assistant Professor, Teachers  
Training College, Bhagalpur,  
Affiliated to Tilka Manjhi  
Bhagalpur University,  
Bhagalpur, Bihar, India

### दहेज हिंसा के प्रकार

- मानसिक उत्पीड़न (Mental Harassment):** दहेज की मांग को लेकर दूल्हा या दूल्हा पक्ष के द्वारा बार-बार दुल्हन को तनाव, अपमानित, जान मारने की धमकी जाती है। साथ ही साथ भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता है जिससे दुल्हन का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दुल्हन आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेती है।
- शारीरिक उत्पीड़न (Physical Abuse):** इस प्रकार का उत्पीड़न प्रायः दहेज न देने पर किया जाता है इसमें दुल्हन को मारपीट, आग से जलाया जाता है।
- यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment):** इस प्रकार के उत्पीड़न में दहेज के कारण विवाद उत्पन्न होने से बलात् या जबरदस्ती यौन संबंध या वैवाहिक बलात्कार दुल्हन के साथ किया जाता है।
- दहेज हत्या (Dowry Death):** इस प्रकार के उत्पीड़न में दुल्हन को प्रायः जहर देकर, आग से जलाकर, फाँसी देकर मार दिया जाता है तथा यह शादी के विवाह के सात वर्ष के भीतर किया जाता है।

### संबंधित साहित्य की समीक्षा

#### उच्च प्रसार और सार्विकीत्र संदर्भ

बिहार राज्य का स्थान दहेज हिंसा के मामले संपूर्ण भारतवर्ष में दूसरा है। दहेज से होने वाली मौत काफी गंभीर होती है ऐसे अपराध दो प्रकार के होते हैं पहला में पति के द्वारा कर हत्या की जाती है इसमें 304B भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज होती है एवं दूसरे प्रकार की प्रताड़िना में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करना शामिल होता है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत रखा गया है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो समाज के कलंक, लोकलज्जा, पारिवारिक दबाव एवं न्याय प्रणाली में देरी के कारण शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। ऐसे मौतों को आत्महत्या की श्रेणी में दे देते हैं।

### दहेज को प्रोत्साहित करने वाला तत्व

बिहार में बढ़ती हुई दहेज रिवाज में इसी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्व शामिल है। पितृ सत्तात्मक समाज की प्रधानता होने के कारण महिलाओं को पराया धन के रूप में माना जाता है तथा दहेज दूल्हा को मुआवजा के रूप में देना पड़ता है। यह इतना पनप गया है कि इसको उपहारों का वाणिज्यिक लेनदेन कहा जाता है। साथ ही साथ उपहार की पराकाष्ठा दूल्हा की सामाजिक स्थिति तथा करती है।

### विवाह अपने ही जति में करना

अपने ही जाति में विवाह करने का संकल्प दूल्हे की संख्या को सीमित कर देती है जिससे दहेज प्रथा और भी बढ़ जाता है।

### महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव

बिहार के समाज के महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गयी है जिससे निम्न सामाजिक स्थिति प्रणाली को बनाए रखने में प्रोत्साहन मिलता है और विवाह दहेज के बिना संभव नहीं होता है।

### अध्ययन के उद्देश्य

- दहेज हिंसा के कारण होने वाली महिलाओं के उत्पीड़न, तथा मौत के आंकड़ों का अध्ययन कर विश्लेषण करना।
- दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाले मूल कारकों का विश्लेषण करना।
- दहेज हिंसा के रोकथाम करने में सहायक गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करना।
- वैकल्पिक विवाह प्रथाओं (कोर्ट मैरिज, शून्य दहेज अभियान) का अध्ययन करना।

- दहेज हिंसा के प्रभाव के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर विश्लेषण करना।
- दहेज निषेध अधिनियम 1961, IPC की धारा 498A, 304B, घेरू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण आधिनियम 2005 का अध्ययन कर विश्लेषण करना।

बिहार के सभी जिलों में दहेज हिंसा से होने वाले मौतों के आंकड़े का अध्ययन

संपूर्ण भारत में दहेज हिंसा से होने वाले मौतों की संख्या में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार के विभिन्न जिलों में दहेज हिंसा से होने वाले मौतों की संख्या पटना जिला में सबसे अधिक है तथा शिवहर जिला में सबसे कम है।

SCRB Bihar 2022 (Published 2023) के अनुसार बिहार के सभी जिलों में दहेज हिंसा से होने वाले मौतों के आंकड़े।

### Dowry Violence Records in Bihar

#### District-wise data for 2022 (Published 2023)

#### Death of Dowry Violence (IPC 304B)

SL. No.	District Name	No of death of dowry violence (Registered)
1	25	25
2	12	12
3	28	28
4	18	18
5	45	45
6	32	32
7	35	35
8	15	15
9	41	41
10	58	58
11	62	62
12	22	22
13	19	19
14	14	14
15	16	16
16	29	29
17	26	26
18	21	21
19	13	13
20	24	24
21	47	47
22	17	17
23	55	55
24	42	42
25	20	20
26	92	92
27	38	38
28	31	31
29	23	23
30	78	78
31	52	52
32	8	8
33	6	6
34	39	39
35	27	27
36	65	65
37	44	44
38	48	48

Total No of Death: 1066

**Dowry Violence Records in Bihar****District-wise data for 2021 (Published by 2022)****Dowry Death (IPC 304B) & Cruelty by Husband/Relatives (IPC 498A)**

District	Dowry Death (IPC 304B)	Cruelty by Husband/Relatives (IPC 498A)
Araria	18	289
Arawal	5	78
Aurangabad	14	212
Banka	12	156
Begusarai	22	345
Bhagalpur	19	278
Bhojpur	13	198
Buxar	6	89
Darbhanga	25	412
East Champaran	28	456
Gaya	34	567
Gopalganj	11	167
Jamui	9	134
Jehanabad	4	67
Kaimur	7	102
Katihar	21	334
Khagaria	15	223
Kishanganj	16	245
Lakhisarai	8	112
Madhepura	17	267
Madhubani	29	478
Munger	10	145
Muzaffarpur	32	523
Nalanda	12	189
Nawada	11	156
Patna	41	678
Purnia	24	389
Rohtas	9	134
Saharsa	18	289
Samastipur	26	423
Saran	20	312
Shekhpura	5	78
Sheohar	3	56
Sitamarhi	23	367
Siwan	14	201
Supaul	19	278
Vaishali	27	445
West Champaran	30	489
Total	1096	13599

**दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाले मूल कारक**

संपूर्ण भारतवर्ष में दहेज प्रथा से होने वाली हिंसा व्याप्त रूप से फैली हुई है। बिहार में पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण दुल्हन को शादी के बाद दूल्हा के घर जाना पड़ता है तथा इस कारण दहेज देना पड़ता है दहेज से परिवार की स्थिति का पता चलता है तथा जो जितना अधिक दहेज देता या लेता है समाज में उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होती है। समाज में शादी के समय दूल्हा पक्ष के द्वारा विलासित के समान, वाहनों की माँग दुल्हन पक्ष से करता है। नौकरी वाला दुल्हा तो बढ़ चढ़कर दहेज लेता है। इतना ही नहीं महिला में आर्थिक स्वतंत्रता की कमी होती है जिस कारण उन्हें पति और ससुराल वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 और IPC की धारा 498 A के द्वारा न्याय में काफी देरी हो जाती है और दहेज हिंसा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ लोग कलंक और लज्जावश मामले को निजी रखने के लिए कानून में शिकायत नहीं करते हैं।

**दहेज हिंसा को रोकने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका**

दहेज हिंसा के रोकथाम में गैर सरकारी संगठन विशेष भूमिका निभाती है। इन संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाया जाता है जिससे प्रताडित महिला एवं परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाता है। संगठनों के द्वारा दहेज प्रथा हिंसा को खत्म करने के लिए समुदायों, विधालयों तथा महाविधालयों में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। समय समय पर इन संगठनों के द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों (व्यावसायिक) तथा जीवन कौशल कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है। अखंड ज्योति का "फुटबॉल से आईबॉल" कार्यक्रम लड़कियों को प्रेरित और शिक्षा के प्रति जागरूकता करने के लिए चलाया गया है। इससे महिला आत्मनिर्भर बनती है। सामाजिक कुरीतियों जैसे- लैंगिक असमानता, दहेज माँग जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए बिहार में "सहयोगी" नामक गैर सरकारी संगठन लैंगिक अहम भूमिका निभाती है। "अब और नहीं हिंसा" (AAN) भी सहयोगी का एक पहल है जो दहेज के कारण घरेलू हिंसा को रोकती है। इनके द्वारा बिहार में महिलाओं को घरेलू हिंसाओं की पहचान करने के लिए सिखाया जाता है।

**औरत की अदालत**

प्रत्येक बुधवार को महिला न्यायालय का व्यवस्था करते हैं।

"SAFE" सहयोगी के द्वारा हिंसा का पता तथा जाँच जाँच करने करने के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है तथा लिंग हिंसा मुक्त व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्थान कार्यक्रम भी चानाते हैं।

- **वन स्टॉप सेन्टर (OSC):** दहेज हिंसा के रोकथाम में वन स्टॉप सेन्टर (सखी केन्द्र) अहम भूमिका निभाती है। इसके द्वारा सारी सुविधा निःशुल्क है तथा इनके द्वारा पुलिस सेवा (112) और एम्बुलेंस (108) सेवा को समन्वित किया जाता है। इसके द्वारा यौन हिंसा से प्रताडित महिला की फोरेंसिक जांच की व्यवस्था की जाती है। पीड़ित महिला और उसके बच्चों (8 वर्ष से कम आयु के लड़के के लिए) अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की जाती है। 5 दिनों की अल्पकालिक आवास की सुविधा दी जाती है।

**दहेज हिंसा को रोकने में सरकारी कानूनों की भूमिका**

- **दहेज निषेध अधिनियम (DPA) 1961:** भारतीय इतिहास में समाज की व्यापक बुराई के रूप में दहेज हिंसा को समाप्त करने वाला कानून है। यह कानून 20 May 1961 ई० को पारित हुआ एवं 1 July 1961 ई० से प्रभावी होकर लागू गया। इसके द्वारा दहेज प्रथाओं का पर प्रतिबंध, दहेज हिंसा से महिलाओं को उत्पीड़न एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

- **भारतीय दंड संहिता 498A:** भारतीय न्याय संहिता 498A भारत में 1 July 2024 से लागू है। इसके तहत अगर किसी महिला की मौत शादी के सात साल के अंदर अप्राकृतिक कारणों (जलन, शारीरिक चोट आ आत्महत्या) से हो जाती है। तब 3 (Three) साल की सजा पति तथा उसमें संलिप्त रिशेदार को देने का प्रावधान है।

- **भारतीय दंड संहिता 304 बी (1986):** यह धारा खास करके दहेज मौतों से जुड़ी हुई है। अगर विवाहित महिला की मौत दहेज की मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण होती है। न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध होने पर सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान नहीं है साथ ही साथ यह सजा की अवधि आजीवन कारवास में बढ़ाया जा सकता है। विवाहित महिला की मौत शादी के 7 वर्ष के अंदर होना चाहिए।

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (PWDVA):** यह अधिनियम 26 October, 2005 को पारित हुआ तथा 26 October 2006 को लागू हुआ। इसके तहत दहेज हिंसा से महिलाओं को त्वरित राहत तथा सुरक्षा का प्रावधान देने का प्रावधान किया गया है।

### निष्कर्ष

दहेज हिंसा से उत्पीड़ित महिला का मुद्रा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर ध्यान दिया जाना परम आवश्यक है। दहेज हिंसा से बचाव एवं रोकथाम के अनेक कानून बनाए जाने के बावजूद सुरक्षा के भी कानून बनाए गए हैं परन्तु इसका अमल बहुत ही कम होता है। दहेज हिंसा से पीड़ित महिला के लिए नये सिरे से खास कानून बनाए जाने और विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाने की आवश्यकता है। दहेज हिंसा समाज के महिला को खासतौर पर प्रभावित करती है। समाज को चाहिए कि वह महिला पीड़ितों को गंभीरता पूर्वक ले, जिससे महिला को समय पर सहायता प्रदान की जा सके और परिवार को बिखरने, टूटने से बचाव किया सके।

### सुझाव

- दहेज हिंसा की प्रतिशतता को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
- सभी सार्वजनिक जगहों पर, दिवालों पर, चौराहों पर नारी उत्थान से संबंधित सलोगों को लिखवाया जाना चाहिए।
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, चिकित्सालयों में भी दहेज हिंसा से बचाव, शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नम्बर (1091, 181) लिखा जाना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में दहेज हिंसा प्रकरण को शामिल किया जाना चाहिए।
- विधालयों के द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षकों के निर्देशन में छात्रों के द्वारा अपने अपने पोषक क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के रैली का आयोजन किया जाना चाहिए।
- लड़कियों की शादी सरकारी निर्धारित उम्र के पश्चात् ही किया जाना चाहिए जिससे लड़कियाँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें।
- सरकार के द्वारा दहेज हिंसा के खिलाफ त्वरित न्याय, कारवाई करने हेतु गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) हेल्पलाइन (7827-170-170) से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- बिहार राज्य के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में दहेज हिंसा से त्वरित कारवाई हेतु कार्यालय या संस्था खोला जाना चाहिए।

### संदर्भ सूची

1. National Crime Records Bureau (NCRB). Crime in India 2023. Ministry of Home Affairs, Government of India; 2023.
2. National Crime Records Bureau (NCRB). Crime in India 2022. Ministry of Home Affairs, Government of India; 2022.
3. National Commission for Women (NCW). Annual Report 2024; 2024.
4. State Crime Records Bureau (SCRB), Bihar. Crime in Bihar 2018; 2018.
5. Sekhri S, Storey Gard A. Dowry deaths: Response to weather variability in India. Journal of Development Economics. 2014;111:212-223.
6. Centre for Catalysing Change (C3). Changing Mindsets: Youth Voices Against Dowry in Bihar; 2020.
7. Srinivasan P, Lee GR. The dowry system in Northern India: Women's attitudes and social change. Journal of Marriage and Family. 2004;66(5):1108-1117.
8. Kumar V, Kanth S. Dowry-related violence and female empowerment in India: Evidence from Bihar and Uttar Pradesh. PLOS ONE. 2021;16(7):e0254360.
9. Bhalotra S, Chakravarty A, Gulesci S. The price of gold: Dowry and death in India. Journal of Development Economics. 2020;143:102413.
10. Sharma A. Dowry system in India: A social evil. International Journal of Indian Psychology. 2016;3(4):1-10.
11. The Economic Times. Death of three sisters' spotlights India's dowry violence; 2022 Jun 7.
12. Times of India. Dowry torture, domestic violence remains serious worry: NCW data; 2025 Jan 1.
13. BBC News. Prayagraj: An alleged dowry death and a gruesome revenge; 2024 May 12.
14. The Diplomat. Dowry-related violence continues to claim the lives of India's daughters; 2025 Aug 29.
15. Oldenburg VT. Dowry murder: The imperial origins of a cultural crime. Oxford University Press; 2002. (Explores historical and colonial roots of dowry-related violence against women).
16. Kumari R. Brides are not for burning: Dowry victims in India. Radiant Publishers; 1989.
17. Diwan P, Diwan P. Law relating to dowry, dowry deaths, bride burning, rape, and related offences. Bharat Law House; 1997.
18. Jeyaseelan L. Dowry is a serious economic violence: Rethinking dowry law in India. Cambridge Scholars Publishing; 2023. <https://doi.org/10.1177/1524838013496334>
19. Oldenburg VT. Dowry murder: The imperial origins of a cultural crime. Oxford University Press; 2002.
20. Kumari R. Brides are not for burning: Dowry victims in India. Radiant Publishers; 1989.
21. Diwan P, Diwan P. Law relating to dowry, dowry deaths, bride burning, rape, and related offences. Bharat Law House; 1997.
22. Jeyaseelan L. Dowry is a serious economic violence: Rethinking dowry law in India. Cambridge Scholars Publishing; 2023. <https://doi.org/10.1177/1524838013496334>